रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112023-250207
CG-DL-E-22112023-250207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2023/कार्तिक 30, 1945
No. 671]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023/KARTIKA 30, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 854(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी-I, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में आशुलिपिक श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (आशुलिपिक ग्रेड -1) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) स्तंभ में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति; -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी-I	10* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर- 6 (35400-112400/-)	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** आशुलिपिक श्रेणी-II, जो कि वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रू) में हों और इस संवर्ग में 10 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) द्वारा आयोजित किए जाने वाले अनिवार्य स्तर-। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरे किए हों। टिप्पण-1 जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह (ख) विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी:- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण-अध्यक्ष; 2. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता-सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

	किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा दी गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो; और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ, व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक का पद धारण किए हुए हैं :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग वेतन मैट्रिक्स-1, (25500-81100/- रू.) या समतुल्य में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण-1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति के लिए सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। **टिप्पण-2** अन्य संवर्ग बाह्य पर में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति अवधि इस नियुक्ति के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या इसी विभाग में अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3** प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाने वाली इस नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नही होगी।	3. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता- सदस्य;	

[फा. सं. 01/11/2021-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2023

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Stenographer Grade-I, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such

supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade-I.	10* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 6. (Rs. 35400-112400/-).	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which deputation.	**Promotion:** Stenographer Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100) with ten years regular service in the	Group 'B' Departmental Promotional Committee for considering promotion consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission is

	grade and having successfully completed mandatory level-I training program to be conducted by Institute of Secretariat Training and Management (ISTM). **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **<u>Deputation:</u>** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-) or equivalent. **Note 1. -** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	**1.** Director, Botanical Survey of India – Chairman; **2.** Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member.	not necessary.

[F. No. 01/11/2021-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.22 22:05:02 +05'30'